छब्बीसवां प्रतिवेदन

याचिका समिति

(सत्रहवीं लोक सभा)

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

और

श्रम और रोजगार मंत्रालय

(28.03.2022 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया)

सत्यमेव जयते

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

मार्च, 2022

सीपीबी सं. 1 खंड XXVI

© 2022 लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम (सोलहवां संस्करण) के नियम 382 के अंतर्गत प्रकाशित।

<u>विषय-सूची</u>

पृष्ठ

याचिका समिति का गठन.. (i)

प्राक्कथन.. (ii)

प्रतिवेदन

श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, शहीद भगत सिंह मार्ग, नई दिल्ली के संदर्भ में लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज (एलएचएमसी) के प्रबंधन द्वारा मेसर्स एम.एस.विजिलेंट सिक्योरिटी, प्लेसमेंट एंड डिटेक्टिव सर्विसेस प्रा. लि. को बकाया राशि का भुगतान नहीं किए जाने के संबंध में श्री अजय टामटा, संसद सदस्य, लोक सभा द्वारा अग्रेषित उनके अभ्यावेदन पर याचिका समिति (सोलहवीं लोक सभा) के सोलहवें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई। 1

अनुबंध

याचिका समिति की 22.12.2021 को हुई 19वीं बैठक का कार्यवाही सारांश (संलग्न नहीं)

याचिका समिति का गठन

श्री हरीश द्विवेदी - सभापति

<u>सदस्य</u>

2. श्री एंटो एन्टोनी
3. श्री हनुमान बेनीवाल
4. डॉ. सुकान्त मजूमदार
5. श्री संजय सदाशिवराव मांडलिक
6. श्री पी. रविन्द्रनाथ
7. श्री बृजेन्द्र सिंह
8. श्री सुशील कुमार सिंह
9. श्री मनोज तिवारी
10. श्री प्रभुभाई नागरभाई वसावा
11. श्री राजन विचारे
12. रिक्त
13. रिक्त
14. रिक्त
15. रिक्त

<u>सचिवालय</u>

1. श्री टी.जी.चन्द्रशेखर	-	संयुक्त सचिव
2. श्री राजू श्रीवास्तव	-	निदेशक
3. श्री जी.सी.डोभाल	-	अपर निदेशक
4. श्री हरीश कुमार सेठी	-	कार्यकारी अधिकारी

याचिका समिति का छब्बीसवां प्रतिवेदन

(सत्रहवीं लोक सभा)

प्राक्कथन

मैं, याचिका समिति का सभापति, समिति द्वारा उनकी ओर से प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किए जाने पर, श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, शहीद भगत सिंह मार्ग, नई दिल्ली के संदर्भ में लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज (एल.एच.एम.सी.) के प्रबंधन द्वारा मेसर्स एम.एस.विजिलेंट सिक्योरिटी, प्लेसमेंट एंड डिटेक्टिव सर्विसेस प्रा.लि. को बकाया राशि का भुगतान नहीं किए जाने के संबंध में, श्री अजय टामटा, संसद सदस्य, लोक सभा द्वारा अग्रेषित उनके अभ्यावेदन पर याचिका समिति (सोलहवीं लोक सभा) के सोलहवें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई पर समिति का यह छब्बीसवां प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) सभा में प्रस्तुत करता हूँ।

2. समिति ने 22 दिसंबर, 2021 को हुई अपनी बैठक में 26वें प्रारूप प्रतिवेदन पर विचार किया और स्वीकार किया।

3. उक्त मुद्दों पर समिति की टिप्पणियां/सिफारिशें प्रतिवेदन में शामिल की गई हैं।

नई दिल्ली;
<u>22 दिसंबर, 2021</u>
1 पौष, 1943(शक)

श्री हरीश द्विवेदी,
सभापति,
याचिका समिति

<u>प्रतिवेदन</u>

श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, शहीद भगत सिंह मार्ग, नई दिल्ली के संदर्भ में लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज (एलएचएमसी) के प्रबंधन द्वारा मेसर्स एम.एस.विजिलेंट सिक्योरिटी, प्लेसमेंट एंड डिटेक्टिव सर्विसेस प्रा. लि. को बकाया राशि का भुगतान नहीं किए जाने के संबंध में श्री अजय टामटा, संसद सदस्य, लोक सभा द्वारा अग्रेषित उनके अभ्यावेदन पर याचिका समिति (सोलहवीं लोक सभा) के सोलहवें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई।

याचिका समिति (सोलहवीं लोक सभा) ने 10 अगस्त, 2016 को श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, शहीद भगत सिंह मार्ग, नई दिल्ली के संदर्भ में लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज (एलएचएमसी) के प्रबंधन द्वारा मेसर्स एम. एस. विजिलेंट सिक्योरिटी, प्लेसमेंट एंड डिटेक्टिव सर्विसेस प्रा. लि. को बकाया राशि का भुगतान नहीं किए जाने के संबंध में श्री अजय टामटा, संसद सदस्य, लोक सभा द्वारा अग्रेषित उनके अभ्यावेदन से संबंधित सोलहवां प्रतिवेदन लोक सभा में प्रस्तुत किया।

2. समिति ने इस मामले में कतिपय टिप्पणियां/सिफारिशें की थीं और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय तथा श्रम और रोजगार मंत्रालय को सिफारिशों का कार्यान्वयन करने तथा इस पर अपने की-गई-कार्रवाई उत्तर भेजने के लिए कहा था ताकि समिति इस पर आगे विचार कर सके।

3. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय तथा श्रम और रोजगार मंत्रालय से उक्त प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सभी टिप्पिणयों/सिफारिशों के संबंध अब की-गई-कार्रवाई उत्तर प्राप्त हुआ है। समिति द्वारा की-गई-सिफारिशों और इस पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय तथा श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा दिए गए उत्तर अग्रवर्ती पैरा में विस्तार से दिया गया है –

4. प्रतिवेदन के पैरा 28 से 29 में समिति ने निम्नवत टिप्पणियां/सिफारिशें की थीं –

"लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज (एलएचएमसी) एवं श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, शहीद भगत सिंह मार्ग, नई दिल्ली को सिक्योरिटी सर्विसेस देने वाली मेसर्स एम. एस. विजिलेंट सिक्योरिटी, प्लेसमेंट एंड डिटेक्टिव सर्विसेस प्रा. लि. की बकाया राशि जारी करने में की जा रही अत्यधिक देरी के बारे में समिति ने अभ्यावेदनकर्ता की शिकायतों को नोट करती है। समिति यह भी नोट करती है कि अस्पताल प्राधिकरण के अनुरोध पर, अभ्यावेदनकर्ता ने अस्पताल परिसर में अतिरिक्त सुरक्षा गार्डों की तैनाती की थी और अस्पताल प्राधिकरण ने अनुबंध को भी नवीकृत किया था। अनुबंधित फर्म द्वारा बेहतर सुरक्षा सेवाएं प्रदान करने के बावजूद अस्पताल प्राधिकरण देय राशि जारी करने में असफल रही। अभ्यावेदनकर्ता ने यह भी कहा कि अस्पताल प्राधिकरण द्वारा भुगतान जारी करने में हुई अत्यधिक देरी के कारण उसे गंभीर कार्य संबंधी/वित्तीय समस्याओं का सामना करना पड़ा जैसे सुरक्षा गार्डों के वेतन का भुगतान न किया जाना, विभिन्न सांविधिक दायित्वों के अनुपालन जैसे नियोक्ता के हिस्से की भविष्य निधि, ई. एस. आई. आदि जमा करने में देरी।

समिति स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा दिए गए तर्क को भी नोट करती है कि संविदा पर रखे गए सुरक्षा गार्डों के भविष्य निधि लाभ को न दिए जाने और पी. एफ. देयता की चोरी के संबंध में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) में अनुबंधित फर्म के खिलाफ अनेक शिकायतें लंबित हैं। समिति यह देखती है कि अनुबंधित फर्म के संविदात्मक कर्मचारियों का पीएफ और अन्य सांविधिक अनुपालन सुनिश्चित करने के बाद ही अस्पताल प्राधिकरण द्वारा फर्म को अंतिम भुगतान किया जाएगा। समिति पाती है कि यदि ठेकेदार कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के प्रावधानों का अनुपालन नहीं करती है तो अस्पताल प्राधिकरण, प्रमुख नियोक्ता होने के नाते, को इस चूक के लिए जिम्मेदार माना जाएगा और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की जा सकती है। समिति मंत्रालय की प्रक्रियात्मक आवश्यकता पर भी ध्यान देती है कि उन्हें ठेकेदार से ले. हा. मे, कॉलेज में तैनात कर्मचारियों के ई.पी.एफ. जमा करने के प्रमाण के रूप में अपेक्षित दस्तावेज़ की आवश्यकता होती है। हालांकि, समिति को जो गड़बड़ी लगती है वह स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय के साथ-साथ श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के उस निवेदन से है कि सांविधिक आवश्यकताआ के गैर-अनुपालन की कथित शिकायत श्रम रोजगार कार्यालय (कैंद्रीय) में लंबित है और उन्होने ठेकेदार की ओर

से सांविधिक उत्तरदायित्वों के गैर-अनुपालन की सीमा के बारे में अंतिम जवाब नहीं दिया। समिति को लगता है कि सरकार को न केवल ठेकेदार के खिलाफ सांविधिक उत्तरदायित्वों के गैर-अनुपालन से संबंधित शिकायतों का समयबद्ध समाधान करना चाहिए बल्कि सांविधिक उत्तरदायित्वों की राशि काटने के बाद शीघ्र ही उनका भुगतान जारी करके एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए ताकि किसी अनुबंधित फर्म का गरीब कर्मचारी अंततः पीड़ित न हो। अतः समिति सिफारिश करती है कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय तथा श्रम और रोजगार मंत्रालय एक अंतर्निहित तंत्र बनाए जो सभी ठेकेदारों के सांविधिक देयताओं के अनुपालन की नियमित निगरानी करे और साथ ही नियमित आधार पर संविदात्मक कर्मचारियों के वेतन/मजदूरी को जारी करना सुनिश्चित करे।''

5. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने अपने की-गई-कार्रवाई उत्तर में निम्नवत बताया है –

''ले.हा.मे. कॉलेज एवं सह अस्पताल ने मेसर्स एम. एस. विजिलेंट सिक्योरिटी, प्लेसमेंट एंड डिटेक्टिव सर्विसेस प्रा. लि. से सुरक्षा कर्मी उपलब्ध कराने के लिए करार किया था। ये सेवाएँ मई, 2015 तक उपलब्ध थीं। सांविधिक देयताओं का अनुपालन न करने के कारण ले. हा. मे. कॉलेज, प्रमुख नियोक्ता होने के नाते, मेसर्स विजिलेंट एजेंसी का भुगतान रोकने के लिए मजबूर था।

वर्तमान में, ले. हा. मे. कॉलेज के प्राधिकारियों ने ठेकेदारों की सांविधिक देयता पर कड़ी नज़र रखी है और ठेकेदार द्वारा किए गए पीएफ/ईएसआई के अनुपालन का विवरण भी ले रहे हैं तथा कर्मचारियों के वेतन/मजदूरी नियमित आधार पर जारी कर रहे हैं। यह भी सूचित किया जाता है कि प्रक्रिया को कारगर बनाने और सिक्योरिटी सर्विस से संबंधित मामलों को हल करने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों की एक सुरक्षा समिति का भी गठन किया गया है।''

6. श्रम और रोजगार मंत्रालय ने अपने की-गई-कार्रवाई उत्तर में निम्नवत बताया है–

"एलएचएमसी में मेसर्स एम.एस. विजिलेंट सिक्योरिटी, प्लेसमेंट एंड डिटेक्टिव सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा तैनात कर्मचारियों के संबंध में कर्मचारी भविष्य निधि अंशदान की राशि का निर्धारण धारा 7क के तहत पारित आदेशों द्वारा किया गया था: -

i) 10,89,486 रुपए जिसे 15.03.2018 के आदेश के माध्यम से सीजीआईटी, जिसने 15.10.2018 के आदेश के माध्यम से रोकने का आदेश दिया था, के समक्ष चुनौती दी गई थी। मामला न्यायनिर्णयन के लिए लंबित है।

ii) 11,01,331/- रुपए जिसे 21.10.2019 के आदेश के माध्यम से पूरा वसूल लिया गया है।

उपर्युक्त स्थिति की जानकारी प्रधान नियोक्ता-लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज को ईपीएफओ के पत्र संख्या आरओ/दिल्ली(पूर्व)/जेएचएमएल/कॉम्प-आई/डीएसएसएचडी/25860/6427-28, दिनांक 14.09.2020 के माध्यम से दी गई है।

मेसर्स एम.एस. विजिलेंट सिक्योरिटी, प्लेसमेंट और डिटेक्टिव सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड ने लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल के साथ 2009 से 30.07.2015 तक ठेका अनुबंध किया था। उक्त ठेका अवधि के दौरान न्यूनतम मजदूरी का भुगतान न करने और मजदूरी के विलंबित भुगतान की शिकायतें प्राप्त हुई थीं। मेसर्स एम.एस. विजिलेंट सिक्योरिटी, प्लेसमेंट एंड डिटेक्टिव सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के कामगारों को निम्नलिखित महीनों के लिए वेतन भुगतान हेतु 26.11.2015 को ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम की धारा 1970 के तहत मुख्य नियोक्ता अर्थात् निदेशक, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल को निदेश जारी किए गए थे:-

क्र. सं.	माह और वर्ष	मजदूरी की राशि

1.	नवंबर, 2014	15,29,891/-
2.	दिसंबर, 2014	15,29,891/-
3.	जनवरी, 2015	15,29,891/-
4.	फरवरी, 2015	15,29,891/-
5.	मार्च, 2015	15,29,891/-
6.	अप्रैल, 2015	15,29,891/-
7.	मई, 2015	15,29,891/-
	कुल:	**1,07,09,237/-**

न्यूनतम मजदूरी का भुगतान न करने के लिए चार दावा आवेदन भी कामगारों द्वारा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत प्राधिकरण, अर्थात् आरएलसी (सी), नई दिल्ली, के समक्ष कामगारों द्वारा दायर किए गए थे।

मेसर्स. एम.एस. विजिलेंट सिक्योरिटी, प्लेसमेंट एंड डिटेक्टिव सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड ईएसआई योजना के अंतर्गत उप क्षेत्रीय कार्यालय, ओखला में कोड नंबर 20000546500010l8 के साथ कवर किए गए हैं। नियोक्ता ने दिसंबर, 2020 तक अनुपालन किया है। नियोक्ता कुछ विलंब के साथ अनुपालन कर रहा है। आज की स्थिति के अनुसार नियोक्ता के विरुद्ध कुल बकाया राशि इस प्रकार है:-

विलंबित भुगतानों पर ब्याज :	2,95,369/- रुपए
विलंबित भुगतानों पर क्षति :	58,643/- रुपए
कुल देय बकाया राशि :	3,54,012/- रुपए

इस संबंध में यह बताया गया है कि बीमाकृत व्यक्तियों/लाभार्थियों को अंशदान के भुगतान और देय के आधार पर ईएसआई अधिनियम के अंतर्गत लाभ प्रदान किए जाते हैं।

सभी ठेकेदारों द्वारा सांविधिक दायित्व के अनुपालन की नियमित निगरानी करने के संबंध में श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा एक इनबिल्ट प्रणाली बनाने की समिति की सिफारिश के संबंध में, निम्नलिखित जानकारी दी गईः -

ईपीएफओ की वेबसाइट/उमंग ऐप पर "स्थापना खोज" के अंतर्गत ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध है जिसके माध्यम से कोई भी राशि का जमा होना तथा उन कर्मचारी/सदस्यों की सूची देख सकता है जिसके लिए किसी भी स्थापना द्वारा किसी भी मजदूरी महीने के लिए किए गए राशि जमा की गई हो। प्रधान नियोक्ता कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के तहत अपने ठेकेदार द्वारा किए गए ऐसे अनुपालन को देख सकते हैं। विविध्या प्रमुख नियोक्ताओं के साथ नियोजित कर्मचारियों के लिए अलग ईसीआर दायर किया जा सकता है।

ईपीएफओ ने प्रमुख नियोक्ताओं के लिए इलेक्ट्रॉनिक सुविधा शुरू की है ताकि वे 01.01.2021 से निम्नलिखित सुविधाओं के साथ अपने ठेकेदारों के कर्मचारी भविष्य निधि अनुपालन को देख सकें:-

(i) ठेकेदारों के माध्यम से कर्मचारियों का नियोजन करने वाले ईपीएफओ पंजीकृत नियोक्ता ईपीएफओ के एकीकृत पोर्टल https://unifiedportal-emp.epfindia.gov.in/epfo/ पर ठेकेदार (ठेकेदारों) और ठेका कर्मचारियों का विवरण जोड़ सकते हैं।

(ii) ऐसे प्रधान नियोक्ता (पीई) जो ईपीएफओ में पंजीकृत नहीं हैं, अपने ठेकेदार और संविदा कर्मचारियों का विवरण जोड़ने के लिए लॉगिन/पासवर्ड प्राप्त करने के लिए यूनिफाइड पोर्टल पर भी पंजीकरण कर सकते हैं।

(iii) ठेकेदार के विवरण जोड़ने पर, पीई अपने लॉगिन के माध्यम से ईसीआर के माध्यम से ठेकेदारों द्वारा किए गए कर्मचारी वार प्रेषण को देख सकता है।

(iV) पीई अब यह सुनिश्चित कर सकता है कि उनका ठेकेदार सभी अनुबंध कर्मियों को नामांकित करे और ईसीआर के माध्यम से ईपीएफ अंशदान प्रेषित करे।

एलईओ (सी), नई दिल्ली ने ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के तहत 16-06.2021 को मेसर्स विजिलेंट सिक्योरिटी, प्लेसमेंट एंड डिटेक्टिव सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड का निरीक्षण किया है। ठेकेदार के खिलाफ ठेका श्रम (विनियमन एवं उत्सादन) अधिनियम, 1970 के तहत शिकायत दर्ज की गई है।

ठेकेदार (नियोक्ता) की सांविधिक बाध्यताओं के अनुपालन की नियमित निगरानी के लिए चूककर्ता नियोक्ताओं की स्वचालित चूककर्ता सूची उत्पन्न होती है। इस सूची का उत्पादन पूरी तरह से स्वचालित है और नियोक्ता के खिलाफ आवश्यक चूककर्ता कार्रवाई इस सूची के आधार पर की जाती है।

नियोक्ताओं के डिफ़ॉल्ट के खिलाफ शिकायतों का विश्लेषण करने के लिए एक केंद्रीकृत विश्लेषण और खुफिया इकाई (सीएआईयू) है। यह इकाई शिकायतों के मामलों का विश्लेषण करती है और शिकायतों पर उचित कार्रवाई करती है। श्रम सुविधा पोर्टल, जो निरीक्षण के लिए एक पूरी तरह से स्वचालित, पारदर्शी प्रणाली है जो बिना किसी मैनुअल हस्तक्षेप के निरीक्षण आधारित पूर्वनिर्धारित जोखिम मानदंड सृजित करता है, के माध्यम से नियमित निरीक्षण आयोजित किया जा रहा है।"

7. प्रतिवेदन के पैरा 30 में समिति ने निम्नवत टिप्पणियां/सिफारिशें की थीं –

"समिति नोट करती है कि श्रम एवं रोजगार मंत्रालय को ले. हा. मे. कॉलेज में उप श्रम कल्याण आयुक्त (डीएलडबल्यूसी) स्तर का एक अधिकारी विभिन्न सांविधिक देयताओं यथा

न्यूनतम मजदूरी, ईपीएफ, ईएसआई के अनुपालन तथा मासिक आधार पर संविदात्मक कर्मचारियों की उपस्थिति को सत्यापित करना सुनिश्चित करने के लिए नियुक्त किया जाना था। समिति को जानकर निराशा हुई कि डीएलडबल्यूसी का पद 15.12.2014 से रिक्त था। यद्यपि अनुबंधित फर्म के विभिन्न सांविधिक आवश्यकताओं के अनुपालन की निगरानी के लिए अस्पताल प्राधिकारियों द्वारा अंतरिम व्यवस्था की गई थी। समिति की दृष्टि में इस प्रकार की तदर्थ और अंतरकालीन व्यवस्था अनुबंधित फर्म और गरीब संविदात्मक कर्मचारियों की विभिन्न प्रकार की कार्यात्मक/वित्तीय समस्याओं का प्रभावी समाधान समाधान नहीं है। इसलिए समिति डीएलडब्ल्यू के पद को नहीं भरने पर गंभीर रूख अपनाती है और सिफारिश करती है कि श्रम और रोजगार मंत्रालय इस पद को अविलंब भरे।"

8. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने अपने की-गई-कार्रवाई उत्तर में निम्नवत कहा है -

"यह सूचित किया जाता है कि लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज एवं सह अस्पताल में आउटसोर्स्ड फर्म के सांविधिक अनुपालन की निगरानी के लिए अगस्त 2016 से ही एक उप श्रम कल्याण आयुक्त (डीएलडब्ल्यूसी) नियुक्त पहले की कर दिया गया हैं।

9. श्रम और रोजगार मंत्रालय ने अपने की-गई-कार्रवाई उत्तर में निम्नवत बताया है –

"माननीय समिति की सिफारिश का पूरी तरह से पालन किया गया है । अगस्त 2016 में समिति की रिपोर्ट मिलने के तुरंत बाद श्री हेमंत सिंह को लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज (एलएचएमसी) में डीएलडब्ल्यूसी के पद पर तैनात किया गया था। इस मंत्रालय का यह प्रयास रहा है कि इस पद को भरा रखा जाए। वर्तमान में सुश्री रीगा जयसिंह चौहान जून, 2020 से एलएचएमसी में डीएलडब्ल्यूसी का पद संभाल रही हैं और न्यूनतम मज़दूरी, ईपीएफ, ईएसआई, ठेका श्रम अधिनियम आदि के संबंध में एलएचएमसी के प्रबंधन को सलाह देकर विभिन्न सांविधिक दायित्वों के अनुपालन की दिशा में अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रही हैं।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, यह कहना है कि ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 की धारा 21(2) में यह प्रावधान है कि प्रत्येक प्रधान नियोक्ता ठेकेदार द्वारा मजदूरी के

वितरण के समय उसके द्वारा विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि को नामित करेगा और ऐसे प्रतिनिधि का कर्तव्य होगा कि वह संविदा श्रमिकों को मजदूरी के रूप में भुगतान की गई राशि को प्रमाणित करे।

सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी के कम भुगतान, यदि कोई हो, के मामले में, कामगार न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के तहत प्राधिकरण के समक्ष दावा आवेदन भी दायर कर सकते हैं। प्राधिकरण कामगारों के कारण कम राशि के दस गुना तक दावा की गई राशि और जुर्माना दे सकता है।

सभी ठेकेदारों द्वारा सांविधिक दायित्वों के अनुपालन की नियमित निगरानी सुनिश्चित करने के लिए एक निरीक्षण योजना तैयार की गई है। योजना के अनुसार निरीक्षण के लिए प्रतिष्ठानों का चयन श्रम सुविधा पोर्टल के माध्यम से याद्दच्छिक आधार *से किया जाता है। इसके अलावा जब भी श्रम कानूनों के उल्लंघन की कोई शिकायत सूचित की जाती है, तो सीएयू के तहत निरीक्षण किया जाता है।"*

10. प्रतिवेदन के पैरा 31 में समिति ने निम्नवत टिप्पणियां/सिफारिश की थी –

"समिति ने यह भी पाया है कि अनुबंधित फर्म द्वारा प्रत्येक अनुबंधित कर्मचारी के खाते में की गई नियोक्ता का अंशदान संबंधी ब्यौरा के बारे में ईपीएफओ के वेबसाईट पर अपलोड की गई सूचना को न तो नियमित रूप से अद्यतन किया जाता है और न ही यह उपयोगकर्ता अनुकूल है। समिति अभ्यावेदन की जांच के दौरान सभी हितधारकों के साथ विस्तृत विचार-विमर्श के बाद आश्वस्त हो गई कि यदि ईपीएफओ वेबसाईट पर अपेक्षित जानकारी नियमित रुप से अपडेट की गई होती और दी गई सूचना उपयोगकर्ता अनुकूल होती तो अनुबंधित फर्म दवारा सांविधिक आवश्यकताओं के पालन में थाड़ी भी चूक नहीं होती, गरीब संविदात्मक कर्मचारियों के वेतन/मजदूरी की समस्या उत्पन्न नहीं होती। अतः समिति श्रम एवं रोजगार मंत्रालय से सिफ़ारिश करती है कि मंत्रालय ईपीएफओ को अनुदेश दे कि वे सभी संविदात्मक कर्मचारियों के खाते में जमा किए गए नियोक्ता के हिस्से के पीएफ की संपूर्ण जानकारी माह-वार तरीके से वेबसाईट पर उपलब्ध कराएं और वेबसाईट पर एक ऐसी सुविधा तैयार करें

जिससे अनुबंधित फर्म की ओर से सांविधिक कर्तव्यों के अनुपालन में की गई कोई चूक स्वतः ही सभी संबंधित प्राधिकारियों के पास नियम/आदेश अनुसार आवश्यक कार्रवाई के लिए स्थानांतरित हो जाए। समिति स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय साथ ही साथ श्रम एवं रोजगार मंत्रालय को भी इस बात के लिए सावधान करना चाहती है कि अनुबंधित फर्म की देय राशि जारी करने में देरी और उसके कारण गरीब संविदात्मक कर्मचारियों को होने वाले परेशानी के लिए किसी भी परिस्थिति में गहन जांच, अन्य हितधारकों से जानकारी न प्राप्त होना, यह शर्त रखना कि अनुबंधित फर्म द्वारा विभिन्न सांविधिक कर्तव्यों का अनुपालन सुनिश्चित करने के बाद ही देय राशि जारी की जाएगी, आदि जैसे कारण नहीं दिए जाने चाहिए।"

11. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालयने अपने की-गई-कार्रवाई उत्तर में निम्नवत बताया है –

"हालांकि, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज एवं सह अस्पताल ने आउटसोर्स फर्म को नियमित रूप से भुगतान करती रही है। यह भी सूचित किया जाता है कि वर्तमान सिक्योरिटी एजेंसी सांविधिक देयताओं के अनुपालन का प्रमाण नियमित रूप से प्रदान कर रही है।"

12. श्रम और रोजगार मंत्रालय ने अपने की-गई-कार्रवाई उत्तर में निम्नवत बताया है -

"जैसा कि ऊपर बताया गया है, 01-01-2021 से लागू इलेक्ट्रॉनिक सुविधा से प्रमुख नियोक्ताओं को ठेकेदारों द्वारा की गई त्रुटि, यदि कोई हो, का समय पर पता लगाने में सुविधा होगी। ईपीएफओ पंजीकृत नियोक्ता ठेकेदार के माध्यम से कर्मचारियों की सेवाएं लेने के लिए ईपीएफओ के एकीकृत पोर्टल पर ठेकेदार (रों) और अनुबंध कर्मचारियों का विवरण जोड़ सकता है: https://unifiedportal-emp.epfindia.gov.in/epfo/. ठेकेदार के विवरण जोड़ने पर, पीई अपने लॉगिन के माध्यम से ईसीआर के माध्यम से ठेकेदारों द्वारा किए गए कर्मचारी वार प्रेषण को देख सकता है ।यदि श्रमिकों को मजदूरी के भुगतान में देरी होती है, तो प्रधान नियोक्ता की जिम्मेदारी है कि वह ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 की धारा 21 (4) के तहत ठेका श्रमिकों को भुगतान करे।

लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल में कार्यरत ठेकेदारों के निरीक्षण का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

ठेकेदार का नाम	निरीक्षण की तिथि	शिकायत दर्ज करने की तिथि	शिकायत/निरीक्षण की स्थिति/परिणाम
1. मेसर्स. एस. विजिलेंट सिक्योरिटी, प्लेसमेंट और डिटेक्टिव सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड	16.06.2015	-	दोषी करार दिए गए और 2,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया
2. मेसर्स सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विसेज	27.03.2017	--	प्राधिकरण द्वारा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के तहत श्रमिकों को 12,000 रुपये के मुआवजे के साथ 33,960 रुपये का दावा किया गया था।
3. मेसर्स ट्रिग डिटेक्टिव प्राइवेट लिमिटेड	05.10.2018	03.1.2019	दोषी को 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया
4. मेसर्स ट्रिग डिटेक्टिव प्राइवेट लिमिटेड	29.03.2019	25.06.2019	मामला न्यायालय में लंबित है
5. मेसर्स ट्रिग डिटेक्टिव प्राइवेट	30.03.2019	25.6.2019	दोषी करार दिए गए और 6,000 रुपये का

लिमिटेड			जुर्माना लगाया गया
6. मेसर्स सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विसेज	30.10.2019	21.1.2020	मामला न्यायालय में लंबित है

13. प्रतिवेदन के पैरा 32 में समिति ने निम्नवत टिप्पणियां/सिफारिशें की थी -

"समिति संतोष जताती है कि अपर सचिव (स्वास्थ्य) की अध्यक्षता में एक समिति अनुबंधित फर्म द्वारा भुगतान किए जाने वाले विभिन्न सांविधिक दायित्वों के सटीक विवरण के लिए एक तंत्र बनाकर मेसर्स एम. एस. विजिलेंट सिक्योरिटी, प्लेसमेंट एंड डिटेक्टिव सर्विसेस प्रा. लि. को देय राशि जारी करने के मामले की जांच कर रही है उन्हें भुगतान करने से करने से पहले राशि काटी जा सके। समिति यह देखकर खुश है कि उक्त तंत्र के अपनाने से अनुबंधित फर्म को 95 लाख की पहली किस्त जारी की जा चुकी है। समिति यह भी आशा करती है कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मत्रालय द्वारा तैयार की गई और सूचना दी गई अनुसार अनुबंधित फर्म द्वारा जमा की जाने वाली आवश्यक सांविधिक राशि को रखने के बाद 1.75 करोड़ राशि की बची हुई दो किस्तें पहले ही जारी कर दी गई है। अतः समिति स्वास्थ्य एव परिवार कल्याण मंत्रालय और श्रम एवं रोजगार मंत्रालय से सिफारिश करती है कि जल्द से जल्द अनुबंधित फर्म के देय राशि के भुगतान को सुनिश्चित करें।"

14. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने अपने की-गई-कार्रवाई उत्तर में निम्नवत बताया है :

"भुगतान जारी : लंबित भुगतान और सांविधिक देयताओं के मामले के समाधान हेतु अपर सचिव (स्वास्थ्य) की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है। यह सूचित किया जाता है कि ले. हा. मे. कॉलेज एवं सह अस्पताल ने पीएफ देनदारियों के लिए लगभग 1.20 करोड़ की

देय राशि रोककर लगभग 1.95 करोड़ राशि पहले ही जारी कर दिया है। निम्न तीन किस्तों में भुगतान जारी किया गया:

(रुपये में)

किस्त	ले. हा. में कॉलेज द्वारा जारी किया गया भुगतान (करोड़ में)	के.एस.सी. अस्पताल द्वारा जारी किया गया भुगतान	कुल (में.)
पहली	059, 80,147.00	37,36,140.00	097,16,287. 00
दूसरी	023,34,705.00	14,50,897. 00	037,85,602. 00
तीसरी	045,47,349. 00	014,53 749. 00	060,01,098. 00
कुल योग			1,95,02,987.00

शेष राशि का भुगतान जारी करने के लिए ले. हा. मे. कॉलेज ने मेसर्स एम. एस. विजिलेंट एजेंसी से कुछ जानकारी और स्पष्टीकरण मांगा है। ले. हा. मे. कॉलेज ने मेसर्स एम. एस.. विजिलेंट एजेंसी को 1.95 रुपए का भुगतान जारी कर दिया है। श्रम आयक्त कार्यालय और श्रम न्यायालय में अभी तक मजदूरी विवाद के मामले लंबित हैं। ले. हा. मे. कॉलेज ने मेसर्स एम. एस. विजिलेंट एजेंसी को श्रम आयुक्त कार्यालय तथा न्यायालय में लंबित सुरक्षा कर्मियों विवाद को सुलझाने का निर्देश दिया है। प्रमख नियोक्ता होने के नाते ले. हा. मे. कॉलेज लिए यह आवश्यक है। यह भी सूचित किया जाता है कि मेसर्स एम. एस. विजिलेंस एजेंसी द्वारा दी गई क्षतिपूर्ति बॉन्ड, इसके दवारा ले. हा. मे. कॉलेज में तैनात सुरक्षा कर्मियों के सभी विवादों के लिए दोषी ठहराने वाली अभी तक लंबित है। इसके अलावा, मैसर्स एम.

एस. विजिलेट एजेंसी को मार्च, अप्रैल, मई 2015 के सही बिल देने का निर्देश दिया गया है। मेसर्स एम. एस. विजिलेंट एजेंसी ने 100% उपस्थिति के बिल के लिए भुगतान का दावा किया है, जबकि उन्होंने इन 03 महीनो में कम संख्या में सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया था।

जैसे ही मेसर्स विजिलेंट एजेंसी द्वारा उक्त मामले को सुलझाया जाता है वैसे ही ले. मे. कॉलेज शेष भुगतान जारी कर देगा, जिसके लिए ई.पी.एफ.ओ. ने अब तक का जमा राशि को सत्यापित कर दिया है। (ईपीएफओ के पत्र संख्या डीएसएसएच/जेएमए/ अनुपूरक II/25860/4798 दिनांक 04.07.2016 के अनुसार लगभग 99 लाख रुपए)।

15. श्रम और रोजगार मंत्रालय ने अपने की-गई-कार्रवाई उत्तर में निम्नवत बताया है-

''ईपीएफओ को संस्थापना के लिए भुगतान जारी करने के संबंध में कोई कार्रवाई करने जरुरत नहीं है। रिकार्डों के आधार पर एलएचएमसी द्वारा निर्णय लिया जाना है।''

टिप्पणियां/सिफारिशें

समिति द्वारा अपने प्रतिवेदनों में की गई टिप्पणियों/सिफारिशों पर की-गई-कार्रवाई संबंधी उत्तरों को समय पर प्रस्तुत किया जाना।

16. याचिका समिति (सोलहवीं लोक सभा) ने श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, शहीद भगत सिंह मार्ग, नई दिल्ली के संदर्भ में लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज (एलएचएमसी) द्वारा सुरक्षा सेवाओं की बकाया राशि का भुगतान नहीं किए जाने के संबंध में मैसर्स विजिलेंट सिक्युरिटी, प्लेसमेंट एंड डिटेक्टिव सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड से प्राप्त एवं श्री अजय टमटा, संसद सदस्य, लोक सभा द्वारा अग्रेषित अभ्यावेदन की विस्तृत जांच की और उसके पश्चात दिनांक 10.08.2016 को लोक सभा में अपना सोलहवां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। अपने प्रतिवेदन में समिति ने उक्त अभ्यावेदन में उठाए गए अनेक मुद्दों पर टिप्पणियां/सिफारिशें की और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय तथा श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी उत्तरों को प्रस्तुत करने की आवश्यकता पर जोर दिया। यद्यपि याचिका समिति ने 10.08.2016 को अपना सोलहवां प्रतिवेदन लोक सभा में प्रस्तुत कर दिया था, परंतु श्रम और रोजगार मंत्रालय ने दिनांक 17.02.2021 को अर्थात् साढ़े चार वर्ष बीतने के बाद अपने की-गई-कार्रवाई संबंधी उत्तर प्रस्तुत किए थे।

17. समिति व्यापक जनहित के मामले पर श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी उत्तरों को प्रस्तुत करने में अत्यधिक विलंब पर अप्रसन्नता व्यक्त करती है। समिति मंत्रालय को यह भी स्मरण कराना चाहेगी कि संसदीय समिति (यों) द्वारा की-गई-टिप्पणियों/सिफारिशों पर यथोचित रूप से विचार किए जाने और उन्हें अपेक्षित रूप से तत्परता के साथ कार्यान्वित किए जाने की आवश्यकता है। संसदीय समितियों (यों) को की-गई-कार्रवाई संबंधी उत्तरों को प्रस्तुत करने में विलंब को सभा और इसकी समिति (यों) के विशेषाधिकार का उल्लंघन माना जा सकता है। इसलिए, समिति मंत्रालय से आशा करती है कि वह ऐसी योजना तैयार करने हेतु अपने प्रशासनिक तंत्र/प्रचालन दल को संवेदी बनाए ताकि भविष्य में ऐसी अप्रिय स्थिति की पुनरावृत्ति होने से रोकना सुनिश्चित किया जा सके।

वेतन की बकाया राशि के भुगतान हेतु ठेकेदारों द्वारा 'सांविधिक दायित्वों' की नियमित निगरानी और अनुपालन।

18. समिति ने मैसर्स एम.एस. विजिलेंट सिक्यूरिटी, प्लेसमेंट एंड डिटेक्टिव सर्विसेज प्रा.लि. के मौजूदा अभ्यावेदन की विस्तृत जांच के दौरान अभ्यावेदनकर्ता द्वारा बताए गए समस्त घटनाक्रम और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय तथा श्रम और रोजगार मंत्रालय के उत्तर का सावधानीपूर्वक अध्ययन करते समय नोट किया कि यद्यपि लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के अस्पताल प्राधिकारियों के अनुरोध पर मैसर्स एम.एस.विजिलेंट प्लेसमेंट एंड डिटेक्टिव सर्विसेज प्रा.लि. ने अस्पताल परिसर में अतिरिक्त सुरक्षा गार्ड तैनात किए थे इससे संबंधित अनुबंध का अस्पताल प्राधिकारियों द्वारा नवीकरण किया गया था परंतु लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज (एलएचएमसी) और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्तपाल, नई दिल्ली को प्रदान की गई सुरक्षा सेवाओं के लिए बकाया राशि जारी करने में अत्यधिक विलंब हुआ जिसके कारण अभ्यावेदनकर्ता के समक्ष सुरक्षा गार्डों को वेतन का भुगतान नहीं किए जाने, भविष्य निधि का नियोक्ता के हिस्से, ईएसआई की देय राशि को जमा करने जैसी विभिन्न 'सांविधिक देयताओं' के अनुपालन में विलंब जैसी गंभीर कार्यात्मक/वित्तीय समस्याएं उत्पन्न हुईं।

19. इसलिए, समिति ने सिफारिश की कि ठेकेदारों द्वारा 'सांविधिक देयताओं' के अनुपालन की नियमित निगरानी करने और संविदा कर्मचारियों को नियमित आधार पर वेतन/मजदूरी जारी किया जाना सुनिश्चित करने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा आंतरिक तंत्र स्थापित किया जाए।

20. समिति यह नोट करके संतुष्ट है कि समिति की सिफारिश के अनुरूप में लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज ने प्रक्रिया को सुचारू बनाने तथा सुरक्षा सेवाओं से जुड़ी विभिन्न समस्याओं का निवारण करने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों की सुरक्षा समिति गठित की है। तथापि, उक्त सुरक्षा समिति की विस्तृत रूपरेखा और विचारार्थ विषय के बारे में याचिका समिति, लोक सभा को अवगत नहीं कराया गया है।

21. इस संदर्भ में श्रम और रोजगार मंत्रालय ने भी सूचित किया है कि ईपीएफओ ने, दिनांक 01.01.2021 से अपने ठेकेदारों द्वारा ईपीएफ अनुपालन की निगरानी करने हेतु प्रधान नियोक्ताओं के लिए इलेक्ट्रॉनिक सुविधा आरंभ की है जिसमें ठेकेदारों के माध्यम से कर्मचारियों को नियुक्त करने वाला पंजीकृत नियोक्ता ठेकेदार और अपने कर्मचारियों का ब्यौरा ईपीएफओ यूनाइटेड पोर्टल अथवा http://unifiedportal-emp.epfindia.gov.in/epfo/. पर जोड़ सकता है। अतः सुविधा में एक विशेषता भी है कि प्रधान नियोक्ता जो ईपीएफओ में पंजीकृत नहीं हैं वह भी अपने कर्मचारियों के साथ अपने ठेकेदारों का ब्यौरा जोड़ने के लिए लोगिन/पासवर्ड प्राप्त करने हेतु यूनिफाइड पोर्टल पर पंजीकरण कर सकते हैं। ठेकेदार का ब्यौरा जोड़ने पर प्रधान नियोक्ता ईसीआर के माध्यम से ठेकेदार द्वारा किए कर्मचारी पर भेजे हुए धन को देख सकते हैं और दोषी ठेकेदार के विरुद्ध कार्रवाई कर सकते हैं। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने आगे यह बताया है कि निरीक्षण की पूर्णतः स्वचालित और पारदर्शी प्रणाली श्रम सुविधा पोर्टल के माध्यम से नियमित निरीक्षण किए जा रहे हैं जो कि किसी मानवीय हस्तक्षेप के बिना निरीक्षण आधारित पूर्व-निर्धारित जोखिम मानदंड का सृजन करता है।

22. यह निगरानी करने के लिए कि सभी ठेकेदार सांविधिक दायित्वों का अनुपालन करें, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय तथा श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा की गई कार्रवाई के बावजूद, समिति स्पष्ट रूप से यह कहना चाहती है कि अनुबंधित कर्मचारियों को वेतन/मजदूरी का समय से भुगतान किया जाना सुनिश्चित करने के लिए संबंधित मंत्रालयों को भविष्य में अतिरिक्त सतर्कता बरतनी चाहिए। इसके अलावा भविष्य में इन घटनाओं की पुनरावृति रोकने के लिए समिति यह भी इच्छा व्यक्त करती है कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय तथा श्रम और रोजगार मंत्रालय यह सुनिश्चित करने के लिए सभी संबंधित पदाधिकारियों/एजेंसियों को आवश्यक निदेश जारी करें ताकि सभी ठेकेदारों द्वारा सांविधिक दायित्वों को समय से पूरा किया जाए, ऐसा करने में असफल होने पर उचित दंडात्मक कार्रवाई शुरू की जाए जिसमें उस अनुबंधित फर्म को काली सूची में डालना, भारी शास्ति लगाना आदि सम्मिलित हो सकते हैं । समिति चाहती है कि इस मामले में मंत्रालयों द्वारा की गई ठोस कार्रवाई से उसे अवगत कराया जाए।

सभी सरकारी अस्पतालों में उप श्रम कल्याण आयुक्त की रिक्ति का भरा जाना

23. याचिका समिति, लोकसभा ने मेसर्स एम एस विजिलेंट सिक्योरिटी, प्लेसमेंट एंड डिटेक्टिव सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड के इस अभ्यावेदन की जांच करते समय नोट किया था कि लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में उप श्रम कल्याण आयुक्त का पद 15 दिसंबर 2014 से खाली पड़ा हुआ था । यद्यपि अनुबंधित फर्म द्वारा विभिन्न सांविधिक आवश्यकताओं का अनुपालन किए जाने की निगरानी करने के लिए जो कार्य उप श्रम कल्याण आयुक्त को करना था, अस्पताल अधिकारियों ने इसके लिए कुछ अंतरिम व्यवस्था की थी, लेकिन समिति ने इसे तदर्थ व्यवस्था माना और तदनुसार सिफारिश की कि श्रम और रोजगार मंत्रालय को लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में उप श्रम कल्याण आयुक्त का पद अविलंब भरना चाहिए।

24. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय तथा श्रम और रोजगार मंत्रालय ने अपने की गई कार्रवाई उत्तरों में समिति को बताया है कि आउटसोर्स की गई फर्मों के सांविधिक अनुपालन की निगरानी करने के मद्देनजर, माननीय समिति की सिफारिश का पूर्णतः अनुपालन किया गया है और श्री हेमंत सिंह को लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और इससे संबद्ध अस्पतालों में अगस्त 2016 से उप श्रम कल्याण आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया। वर्तमान में सुश्री रीगा जय सिंह चौहान उक्त अस्पताल में जून 2020 से उप श्रम कल्याण आयुक्त के पद पर कार्यरत हैं तथा सौंपे गए सभी कार्यों का निर्वहन कर रही हैं।

25. समिति यह नोट कर संतुष्ट है कि मंत्रालय द्वारा लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और संबद्ध अस्पताल में उप श्रम कल्याण आयुक्त के रूप में अगस्त 2016 से श्री हेमंत सिंह तथा इसके बाद जून 2020 से सुश्री रीगा जय सिंह चौहान की नियुक्त करके सिफारिश का कार्यान्वयन किया गया है। इस पहल के बावजूद समिति स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय तथा श्रम और रोजगार मंत्रालय से आग्रह करती है कि सभी सरकारी अस्पतालों में उप श्रम कल्याण आयुक्त के पद को भरने के लिए कोई तंत्र बनाए ताकि भोले-भाले कर्मचारियों को संबंधित फर्म द्वारा सांविधिक देयताओं को जमा नहीं किए जाने आदि के रूप में किसी कठिनाई का

सामना न करना पड़े। समिति चाहती है कि इस बारे में सरकार द्वारा की गई कार्रवाई से अवगत कराया जाए।

<u>चूककर्ता अनुबंधित फर्म के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई शुरू किया जाना</u>

26. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत की गई कार्रवाई उत्तर से समिति नोट करती है कि लंबित भुगतानों के मुद्दे को हल करने के लिए और सांविधिक देयताओं का अनुपालन करने के लिए अपर सचिव, स्वास्थ्य की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। इसके अलावा, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और संबद्ध अस्पतालों ने पहले ही मेसर्स एम एस विजिलेंट सिक्योरिटी, प्लेसमेंट एंड डिटेक्टिव सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड को 1.95 करोड रुपए जारी कर दिए हैं जिसमें से मात्र 1.20 करोड़ रुपए भविष्य निधि देयताओं के लिए रखे गए हैं। शेष भुगतान जारी करने के लिए लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज ने मेसर्स एम एस विजिलेंट सिक्योरिटी प्लेसमेंट एंड डिटेक्टिव सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड से कुछ स्पष्टीकरण मांगे हैं। लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज ने भी सुरक्षा कार्मिकों के मजदूरी विवाद को हल करने के लिए उस सुरक्षा एजेंसी को अनुदेश जारी किए हैं जो श्रम आयुक्त के पास लंबित हैं तथा न्यायालयों में भी है। समिति को यह भी बताया गया है कि जैसे ही सुरक्षा एजेंसी द्वारा उपर्युक्त मुद्दों को हल कर लिया जाएगा, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज उनको शेष भुगतान जारी कर देगा।

27. इस संदर्भ में समिति यह दोहराना चाहती है कि लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के प्रबंधन द्वारा श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल की सुरक्षा सेवाओं की बकाया राशि का भुगतान मैसर्स एम एस विजिलेंस सिक्योरिटी, प्लेसमेंट एंड डिटेक्टिव सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को न करने के बारे में अभ्यावेदन की जांच करते समय समिति ने अनुबंधित सुरक्षा कार्मिक की सांविधिक देयताओं, विशेषकर भविष्य निधि देयताओं का शत-प्रतिशत अनुपालन तथा नियमों और अन्य निबंधन एवं शर्तों के अनुसार मजदूरी मुद्दे को हल किए बगैर सुरक्षा एजेंसी को रोकी गई धनराशि को बिना सोचे समझे जारी करने की कोई सिफारिश नहीं की थी। वस्तुतः समिति अभी भी मानती है कि अनुबंधित फर्म के कर्मचारियों की परेशानियों को

हमेशा उक्त अस्पताल के प्रबंधन द्वारा बकाए का भुगतान न किए जाने की तुलना में एजेंसी द्वारा किए गए निरंतर दावे से अधिक दिखाया गया है। समिति की यह भी सुविचारित राय है कि यदि कोई अनुबंधित फर्म किसी न किसी बहाने से बहुत अधिक लंबे समय तक मजदूरी का भुगतान करने या समय से अपने सांविधिक देयताओं का पालन नहीं करने में चालाकी दिखाती है तो मुख्य नियोक्ता जो कि वर्तमान मामले में लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज है को उसके प्रोपराइटर्स/निवेशकों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई शुरू करनी चाहिए, जिसमें धोखाधड़ी करने वाली फर्मों को काली सूची में दर्ज किया जाना भी शामिल है । उस समय समिति मंत्रालय और अस्पताल पदाधिकारियों की तरफ से मेसर्स एम एस विजिलेंस सिक्योरिटी प्लेसमेंट एंड डिटेक्टिव सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को देय 1.20 करोड रूपए की शेष धनराशि को रोका जाना विवेकपूर्ण निर्णय मानती है। समिति इस मामले में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा की गई कार्रवाई से भी अवगत होना चाहती है।

नई दिल्ली;

22 दिसंबर, 2021

1 पौष, 1943 (शक)

श्री हरीश द्विवेदी,

सभापति,

याचिका समिति